भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 341

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

'हर घर नल से जल' योजना के अंतर्गत नल जल कनेक्शन

***341. डॉ. राजेश मिश्राः**

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 'हर घर नल से जल' योजना की वर्तमान स्थिति राज्य-वार क्या है;

(ख) नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शेष परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है;

(ग) देश में सभी ग्रामीण घरों को नल से जल प्रदान करने के लिए राज्य-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के तहत कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ङ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *341 के उत्तर में सदर्भित विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार माह अगस्त 2019 से ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित राज्यों की भागीदारी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

माह अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 15.12.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 12.13 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 15.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.36 करोड़ (79.35%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष परिवारों को राज्यों द्वारा उनकी योजनाओं के अनुसार शामिल किए जाने की आशा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति भी पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पांच वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2023-24 तक मंजूरी दी थी। अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात् 100% परिवारों को नल जल आपूर्ति हो रही है और मध्य प्रदेश राज्य सहित शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उनकी कार्य परिपूर्णता योजना के अनुसार मिशन के पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, ओडिशा राज्य में नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में जेजेएम की तीव्र आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य परिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा करना तथा उसे अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना आदि

शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा विद्यालयों में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा, जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग का विस्तार करने, पेयजल स्रोतों की निगरानी, स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना, आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और स्थानीय ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं अनुरक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की एक केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS - https://pgportal.gov.in/) है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल जीवन मिशन स्कीमों से संबंधित लोक शिकायतों सहित लोक शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण जेजेएम से संबंधित प्राप्त लोक शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों और घटकों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और राज्य के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों का निवारण करने के लिए आवधिक आधार पर क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।

*****

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: दिनांक 15.12.2024 की स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शनों वाले ग्रामीण परिवारों में की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवार		आदिनांक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	बिहार	167.48	3.16	1.89	157.19	93.86	160.36	95.75
13	उत्तराखंड	14.50	1.30	8.99	12.77	88.03	14.07	97.01
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.72	3.37	92.54
16	लक्षद्वीप	0.13	-	0.00	0.12	91.17	0.12	91.17
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.73	1.20	90.69
18	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	80.21	54.64	128.65	87.63
19	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.37	88.45	70.60	110.21	87.97
20	उत्तर प्रदेश	266.94	5.16	1.93	226.22	84.74	231.39	86.68
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.10	81.23	6.34	84.50
22	जम्मू एवं कश्मीर	19.23	5.75	29.92	9.77	50.81	15.53	80.73
23	असम	72.11	1.11	1.54	57.50	79.73	58.61	81.27
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.25	80.66	5.30	81.36
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.58
26	छत्तीसगढ़	50.05	3.20	6.39	36.76	73.46	39.96	79.84
27	कर्नाटक	101.31	24.51	24.19	58.57	57.81	83.08	82.01
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.25	72.43	67.36	75.94
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.65	41.51	70.39	73.69
30	मध्य प्रदेश	111.92	13.53	12.09	61.03	54.53	74.56	66.62
31	झारखंड	62.55	3.45	5.52	30.71	49.10	34.16	54.62
32	केरल	70.84	16.64	23.49	21.68	30.60	38.32	54.09
33	राजस्थान	107.56	11.74	10.92	47.29	43.97	59.04	54.89
34	पश्चिम बंगाल	175.40	2.15	1.22	92.32	52.63	94.46	53.85
	कुल	**19,36.07**	**3,23.63**	**16.72**	**12,12.65**	**62.63**	**15,36.28**	**79.35**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस